

29/08/2023

पत्रावली पेश हुई P.O. साहब राज
का... के... से
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक
12/09/2023 को पेश की जावे।
Bijl

12/09/2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षों में उपस्थित वकील
पक्षों की वकालत पर मजबूत किया गया। प्रारंभिक
अभियोग तथ्यों व पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का
अवलोकन कर गहनता से मजबूत किया गया। वकील
पक्षों द्वारा वकालत के दौरान दी दलीलों में हम सतुंग रहे।
पक्षों के प्रारंभिक धारा-128 बाबत पत्परंगी के स्वीकार
योग्य पाया जाता है। अतः पक्षों के प्रारंभिक धारा-128
के स्वीकार योग्य पाए जाने के स्वीकार किया जाता
है। प्रारंभिक धारा-128 का निर्णय प्रथम से लिये जाया
जाकर सुनने न्यायालय में दर्जलाह में सुनाया गया।
पत्रावली के तल सुमार लीकर दर्ज वजिस्टर से कर
की जाकर शामिल दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
शिवतभाटा (चित्तौड़गढ़)

